भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 मार्च, 2011

संख्या का०आ० 31/पं०अ० 16/1952/धा० 22/2011.—पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 16), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।

2. (i) पंजाब तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (vi) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी तथा 5 जुलाई, 1996 से 6 जून, 2005 तक प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

"(vi) हरियाणा राज्य में अथवा में से माल ले जाने के लिए प्रयोग में लाये गये लोक अथवा निजी वाहन की लदान क्षमता :

(क)	10 टन से अनधिक	3,500/- रुपये प्रति वर्ष
(ख)	10 टन से अधिक किन्तु 17 टन से अनधिक	5,000/- रुपये प्रति वर्ष
(ग)	17 टन से अधिक	10,000/- रुपये प्रति वर्ष"; तथा

(ii) 7 जून, 2005 से निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की गई समझी जायेंगी, अर्थात् :—

"(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अनुसार हरियाणा राज्य में या में से उनके प्रमाणित तथा पंजीकृत भार से अनधिक माल वहन के लिए प्रयोग में लाये गये लोक अथवा निजी वाहन की लदान क्षमता :—

(क)	10 टन से अनधिक	4,000/- रुपये प्रति वर्ष
(ख)	10 टन से अधिक किन्तु 17 टन से अनधिक	5,600/- रुपये प्रति वर्ष
(ग)	17 टन से अधिक	12,000/- रुपये प्रति वर्ष"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।